अनुप० वकील वादी इनके पुत्र [illegible] पेश करें। [illegible] प्रतिवादी सा० 2, 4, को [illegible] प्रतिवादी [illegible] नहीं [illegible] 16.5.18 को पेश करें।

अ०नि० फूली

16.4.18

पत्रावली पेश हुई। वकील फरीकेन उपस्थित। सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुलाबपुरा
आज P. O. सा० अन्य राजकार्य से
पधारने से पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु
दिनांक 16/7/18 को पेश करें।

आज्ञा से
रीडर
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) गुलाबपुरा

शिवलाल

16/5/2018

पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प कोर्ट फलामादा पर पेश हुई। वादीया श्रीमति फूली व उनके अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी सं0-4 शिव, उनके अधिवक्ता श्री परमेश्वर शर्मा उपस्थित हुये।

वादीया श्रीमति फूली ने आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया कि मेरे खातेदारी भूमि में सडक निकालने के लिये प्रतिवादी आये, इसलिये मैने दावा किया था। पटवारी / गिरदावर ने मेरी खातेदारी भूमि की मौके पर नपती कर बता दी है, मेरी खातेदारी की जमीन रोड में नही जाने से अब मैं इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नही कराना चाहती हूँ।

चुकिः पटवारी / गिरदावर हल्का ने वादीया की जमीन को नाप कर सन्तुष्ठ कर दिया गया है, वादीया की खातेदारी भूमि मे से कोई सडक नही निकलने के कारण वादीया दावा नही चलाना आज मेरे समक्ष जाहिर करने से इस प्रकरण की कार्यवाही इसी स्टेज पर बन्द की जाती है। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करे। आदेश आज दिनांक 16/5/2018 को खुली अदालत में सुनाया गया।